प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 13.09.2024

जनपद चन्दौली

पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा थाना नौगढ़ क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ चलाया गया ऑपरेशन काम्बिंग

चन्दौली- दिनाँक 12.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराधिक/नक्सली गतिविधियों को रोकने तथा वनांचलवासियों को जागरूक करने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। जिसमें लोगों से अपील की जा रही है कि अपराध एवं अपराधियों की सूचना पुलिस से साझा करें, जिससे पुलिस अपराध व अपराधियों को नियंत्रण करने में सफल हो सके।

इसी क्रम में थाना नौगढ़ अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ द्वारा मय फोर्स अपराधिक नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाने तथा अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए थाना क्षेत्र नौगढ़ के अति संवेदनशील इलाकों में चलाया गया कम्बिंग ऑपरेशन।

प्रेस नोट दिनांक-13.09.2024

थाना सकलडीहा जनपद चंदौली

□थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु वांछित/वारण्टीयों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष सकलडीहा संजय सिंह के कुशल नेतृत्व में माननीय न्यायालय से जारी NBW में गिरफ्तारी हेतु सकलडीहा पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त को ग्राम महेशुआ से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

नाम पता गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण-

राममसेवक यादव पुत्र छैबर यादव निवासी ग्राम महेशुआ नई बाजार थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली उम्र 56 वर्ष

मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) चन्दौली मु0नं0 5423/19 धारा 138 एनआई एक्ट

पुलिस टीम –

1.उ0नि0 विजय राज चौकी प्रभारी नई बाजार कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

2.हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल चौकी नई बाजार कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

प्रेसनोट दिनांक-13.09.2024

जनपद चंदौली

□श्री आदित्य लांग्हे द्वारा समस्त थानों की महिला पुलिस कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक कर महिला बीट प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं मिशन शक्ति अभियान के संबंध में दिया आवश्यक दिशा-निर्देश

चंदौली:- उ०प्र० शासन की मंशा के अनुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज 4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा आज दिनांक-13.09.2024 को पुलिस लाइन चंदौली के नवीन सभागार में महिला बीट में तैनात हुई महिला पुलिसकर्मियों के साथ बैठक में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी महिला पुलिसकर्मियों से उनकी बीट के संबंध में जानकारी ली और निर्देशित किया कि महिला बीट पुलिसकर्मी अपनी-अपनी बीट में नियमित भ्रमण कर महिला व बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएं यूपी 112, वूमेन पावर लाइन 1090, यूपी कॉप एप 181, महिला हेल्प लाइन 1076, मुख्यमंत्री हेल्प लाइन 1098, चाइल्ड हेल्प लाइन 102, एंबूलेंस सेवा 108, साइबर हेल्पलाइन 1930 के संबंध में अवगत कराएं। थाने में संचालित महिला हेल्पडेस्क पर तैनात महिला पुलिसकर्मी को महिलाओं की शिकायत सुनकर शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण करें। जनपदीय एटीरोमियो टीम व थानों पर नियुक्त एटीरोमियो टीम के पुलिस कर्मियों को भीड भाड वाले स्थान, स्कूल, कालेज, बाजारों व बस स्टैड/आटो स्टैड पर पहुंचकर मनचलो के विरूद्ध निरन्तर कार्रवाई करने हेतु दिशानिर्देश दिया गया साथ ही महिला पुलिसकर्मी बसों के अन्दर प्राइवेट ड्रेस में बालिकाओं व महिलाओं से बदतमीजी व छेड़छाड़ करने वाले मनचलो की निगरानी करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही करें।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक आप0 अनिल कुमार यादव, अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

प्रेस नोट दिनांक-13.09.2024

थाना बलुआ जनपद चंदौली

थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा 01 स्कार्पियो में क्रूरतापूर्वक तरीके से लादकर वध हेतु ले जा रहे 04 राशि गोवंशों के साथ 01 शातिर तस्कर को किया गया गिरफ्तार

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं आपराधियों, गौ-तस्करों के विरुद्ध अंकुश लगाने हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली विनय कुमार सिंह तथा क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के निर्देशानुसार अपराध एवं आपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाने व गौ-तस्करों की गिरफ्तारी के क्रम में थानाध्यक्ष बलुआ के नेतृत्व में थाना बलुआ पुलिस जनपद चन्दौली द्वारा महेशपुर रानेपुर चौराहा नहर पुलिया बहद ग्राम रानेपुर के पास से एक अदद स्कार्पियो न0 WB12A-9341 में क्रूरता पूर्वक बांधकर लादकर परिवहन किये जा रहे 04 राशि गोवंश को बरामद किया गया तथा मौके से अभियुक्त मेराज फारुकी पुत्र स्व0 जहूर निवासी जौहरगंज थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-158/24 धारा:- 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 325 बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ:-

अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि मै तथा मेरे सहयोगी मुकेश राम पुत्र अज्ञात नि0 मंसूरपुर थाना दुर्गावती बिहार 3.भोदल पुत्र अज्ञात नि0 बहरियाबाद जनपद गाजीपुर, जनपद गाजीपुर से घुम-घुमकर गाँवो से गोवंशो को खरीदकर एकत्र कर अपने वाहन पर लादकर बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल में ले जाकर वध हेतु अच्छे दामों पर बेचते हैं। जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी होती है। जिसके पैसों से अपना विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करतें हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

मेराज फारुकी पुत्र स्व0 जहूर निवासी जौहरगंज थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 35 वर्ष अपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त मेराज फारुकी का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-158/24 धारा:- 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 थाना बलुआ जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0 112/21 धारा:- 3/5A//8 गोवध नि0 अधि0 थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर

3.मु0अ0सं0 115/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट

4.मु0अ0सं0 46/23 धारा 3/5A//8 गोवध नि0 अधि0 थाना रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर

5.मु0अ0सं0 073/16 धारा 394/506 भादवि सैदपुर जनपद गाजीपुर

विवरण बरामदगीः-

1. एक स्कार्पियो - WB12A-9341

2. 04 राशि गोवंश

5. एक कीपैड मोबाइल

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र थाना बलुआ जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 चन्द्रप्रताप सिंह थाना बलुआ जनपद चन्दौली

3.उ0नि0 अनिल कुमार यादव चौकी प्रभारी कैलावर थाना बलुआ जनपद चन्दौली

4.हे0का0 सतेन्द्रनाथ पाण्डेय थाना बलुआ जनपद चन्दौली

5.का0 रामजी पाण्डेय थाना बलुआ जनपद चन्दौली

6.का0 रोहित यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 13.09.2024

जनपद चन्दौली

पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा औद्योगिक/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नियुक्त गार्डों के साथ मीटिंग कर दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

चन्दौली- आज दिनांक 13.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में थाना मुगलसराय की चौकी औद्योगिक नगर चौकी प्रभारी पूजा कौर द्वारा चौकी क्षेत्र अन्तर्गत पडऩे वाले समस्त औद्योगिक/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नियुक्त गार्डों के साथ मीटिंग कर व्यावसायिक प्रतिष्ठान की सुरक्षा हेतु दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश। व्यावसायिक प्रतिष्ठान की सुरक्षा में लगे सभी गार्डों को चौकी औद्योगिक नगर पर बुलाकर उन्हें सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक किया गया व किसी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु के दिखाई देने पर तत्काल थाना स्थानीय को सूचित करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में लगे बिजली ट्रान्सफार्मर पर भी निगरानी करते रहे जिससे कोई भी असमाजिक तत्व क्षतिग्रस्त न कर सकें व अन्दर व बाहर लगाये कैमरों को सही दिशा व रोड़ की तरफ रखें जिससे आने व जाने वाले समस्त व्यक्ति, वाहन व घटित घटनाओं को कैमरे में सुरक्षित किया जा सके।

प्रेस नोट दिनांक-13.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री श्याम बाबू (एडीजे/एफटीसी-प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 2 वर्ष 6 माह का साधारण कारावास व 5000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना नौगढ़ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 08.02.2005 को धारा 3(1) यूपी गैगंस्टर एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.श्याम कुमार यादव पुत्र विजय सिंह पुत्र सिसुईया विधा थाना करपी जिला अरवल बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 20/05 धारा 3(1) यूपी गैगंस्टर एक्ट थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व 1. श्री अवधेश कुमार पाण्डेय व थाना नौगढ के पैरोकार मुख्य आरक्षी सतीश गोयल की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-13.09.24 को पीठासीन अधिकारी श्री श्याम बाबू (एडीजे/एफटीसी-प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.श्याम कुमार यादव पुत्र विजय सिंह पुत्र सिसुईया विधा थाना करपी जिला अरवल बिहार को 2 वर्ष 6 माह का साधारण कारावास व 5000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-13.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 14.01.2009 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र स्व कन्हैया लाल गुप्ता निवासी कछवां बाजार थाना कछवां जनपद मीरजापुर के विरुद्ध अपराध संख्या- 10/2009 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विजय पाण्डेय (एपीओ),मनीष कुमार(एसपीओ) व थाना सैयदराजा के आरक्षी राजीव प्रजापति की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-13.09.24 को पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र स्व कन्हैया लाल गुप्ता निवासी कछवां बाजार थाना कछवां जनपद मीरजापुर को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक-13.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा दोषी 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व 6000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

थाना धानापुर के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 21.07.2008 को धारा 323,353,504,506 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.फैसल उर्फ फजल पुत्र आगा निवासी चाँदपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी 2. इसरार पुत्र रियाज 2.रुस्तम पुत्र इसरार निवासीगण पठान टोली थाना धानापुर जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 70/2008 धारा 323,353,504,506 भादवि थाना धानापुर में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विजय पाण्डेय (एपीओ) व थाना धानापुर मुख्य आरक्षी सुबहान अहमद की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-13.09.24 को पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.फैसल उर्फ फजल पुत्र आगा निवासी चाँदपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी 2. इसरार पुत्र रियाज 2.रुस्तम पुत्र इसरार निवासीगण पठान टोली थाना धानापुर जनपद चन्दौली प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की सजा व 6000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

प्रेस नोट दिनांक-13.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना सकलडीहा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 11.12.2001 को धारा 279,337,338,427 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.फिरोज अहमद पुत्र कासिम निवासी शाहुपुरी मुगलसराय जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 93/2001 धारा 279,337,338,427 भादवि थाना सकलडीहा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विजय पाण्डेय (एपीओ) व थाना सकलडीहा मुख्य आरक्षी उमेश कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-13.09.24 को पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.फिरोज अहमद पुत्र कासिम निवासी शाहुपुरी मुगलसराय जनपद चन्दौली को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-13.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह (सिविल जज (जू0डि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 2 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना शहाबगंज के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 14.05.1994 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.इजहार खाँ पुत्र साहिल खाँ निवासी पटेरी थाना चाँद जनपद भभुआ बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 35/1994 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना शहाबगंज में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विपीन बिहारी यादव (पीओ) व थाना शहाबगंज आरक्षी बिपिन कुमार यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-13.09.24 को पीठासीन अधिकारी श्री कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह (सिविल जज (जू0डि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.इजहार खाँ पुत्र साहिल खाँ निवासी पटेरी थाना चाँद जनपद भभुआ बिहार को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 2 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक- 13.09.2024

जनपद चन्दौली

□ कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही खाकी कर रही रिश्तों को भी मजबूत।

□ छोटी मोटी बातों व गलतफहमियों के कारण अलग हुए दम्पत्तियों को चन्दौली पुलिस द्वारा लगातार समझा-बुझाकर कराया जा रहा एक।

□ महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र के अथक प्रयास से आज 02 बिछड़े दम्पत्ति पुनः एक साथ रहने को हुए राजी।

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा बिछड़े दम्पतियों को मिलाकर एक परिवार के बीच पुनः खुशियां लौटाने का लगातार सार्थक प्रयास किया किया जा रहा है। दिनांक 13.09.2024 को ऐसे ही 02 परिवार से पति व परिजनों के विरुद्ध पारिवारिक विवाद के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्रों पर दोनों पक्षों को जरिये नोटिस/मोबाइल द्वारा सूचित कर महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र पर बुलाकर पारिवारिक मूल्यों एंव महत्व को बताते हुए अथक प्रयास से समझाया बुझाया गया। दोनों पक्ष आपसी सहमति एवं बिना किसी जोर दबाव के अपनी बीती हुई बातों/गलतियों को स्वीकार कर नये सिरे से पुनः पति/पत्नी की तरह एक दूसरे का सम्मान करते हुये रहने को तैयार हुये। महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र से दम्पति के बीच पारिवारिक विवाद को समाप्त कराते हुये टूटते हुये रिश्ते को बचाते हुये पति/पत्नी को परिजनों के साथ राजी खुशी भेजा गया।

प्रेस नोट-दिनांकः 13.09.2024

यातायात पुलिस चंदौली

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 13.09.2024 को कुल 158 वाहनों का चालान करते हुए 1,70,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 13.09.2024 जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 158 वाहनों का चालान करते हुए 1,70,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों

को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्लंघन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या   यातायात नियम उल्लंघन का प्रकार   चालान की संख्या

1 मोटरसाइकिल पर तीन सवारी-15

2. बिना हेलमेट-93

3. नो पार्किंग-29

4. गलत दिशा में वाहन चलाना-05

5. गलत नंबर प्लेट- 01

6. तेज रफ्तार वाहन चलाना- 04

7. बिना सीटबेल्ट- 05

8. बिना फिटनेस वाहन चलाना-01

9. बिना परमिट- 01

10. अन्य- 04

यातायात नियमों के उलंघन में आज दिनांक 13.09.2024 को की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-158

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-1,70,000/- रूपयें।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 13.09.2024

जनपद चन्दौली

□पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों द्वारा की गई पीस कमेटी की बैठक

□आगामी बारावफात व विश्वकर्मा पूजा त्योहार के दृष्टिगत की गई पीस कमेटी की बैठक

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों द्वारा आज दिनांक 13.09.2024 को आगामी त्यौहार बारावफात व विश्वकर्मा पूजा त्योहार के दृष्टिगत शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद के समस्त थानों द्वारा आगामी त्यौहारों पर जुलूस आयोजकों व प्रबन्धकों, धर्मगुरूओं व संभ्रात व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को त्यौहारों के सम्बन्ध में शासन स्तर से जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया।

मीटिंग के दौरान उपस्थित लोगों को बताया गया कि त्यौहार के दौरान कोई भी जुलुस बिना अनुमति के न निकाला जाए तथा निकलने वाले जुलूस एवं उनके रूट आदि की सूचना प्रशासन एवं पुलिस को अवश्य दें, जिससे समुचित पुलिस प्रबन्ध किया जा सकें और शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार सम्पन्न कराया जा सकें। साथ ही लोगों को बताया गया कि परंपरागत तरीके से ही जुलुस निकाले जाए, पूर्व की भांति जुलुस जिन मार्गों से निकाले जाते है वही से निकाले जाए उनके मार्ग में किसी भी प्रकार का नया फेर बदल ना किया जाए।

तत्पश्चात मीटिंग में उपस्थित लोगो से त्यौहारों को शांतिपूर्ण एवं आपसी भाई-चारे के साथ मनाने एवं पुलिस-प्रशासन का सहयोग करने हेतु अपील की गई तथा सभी को बताया गया कि क्षेत्र में होने वाली छोटी से छोटी घटनाओं की सूचना समय से पुलिस को दें, जिससे कोई बड़ा विवाद उत्पन्न न हो सके। साथ ही लोगों को सोशल मीडिया पर भ्रामक अथवा किसी भी धर्म सम्प्रदाय के सम्बन्ध में कोई अवांछित पोस्ट ना करने हेतु बताया गया तथा बताया गया कि पुलिस द्वारा अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों पर लगातार सोशल मीडिया टीम द्वारा निगरानी की जा रही है, इसलिए सोशल मीडिया का प्रयोग बहुत सोच समझकर करे।

प्रेस नोट दिनांक- 13.09.2024

जनपद चन्दौली

□ जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान

□ जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 07 शराबियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई।

चन्दौली:- सड़क, कार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके लिए और दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें सभी जानते हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में 13.09.2024 को समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 07 शराबियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।